

मानक शर्तें

(वन अनुभाग-3, उ० प्र० शासन की पत्र सं० 7314/14-3-980/82
दिनांक 31-12-1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर से कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भांति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रयत्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरण विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की भूमि नहीं पहुँचावेगी और इस किम्वदन्ति पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करावेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाए गये गुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरण विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जंगलों से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति पूर्ति एवं वन जंगलों के स्वच्छन्द विवरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जावेगी।
9. सिचार्ज विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पोधों की वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जावेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जावेगा।

Photo G.P.
Attested
ASSISTANT
PRO. वन विभाग
ब० खण्ड ला० नि० व०
बसुड (टि० व०)

11. रूढ़क निर्माण में प्रस्तावों पर "प्लानिफिकेट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श या ज. नि. वि. द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रारम्भ अभियान या ज. नि. वि. के निर्देशों के अनुसार भी किया जाना चाहिए। वन विभाग को सामान्यतः सन् 608 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जावेगा कि अथवा मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को सामूहिक फेरबदल कर पक्का करना होगा वन्तः ऐसा करना यात्रक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धीक विनियमन अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धीक प्रमाण पत्र के आधार पर निर्धारित होगा, जो यात्रक विभाग को मान्य होगा।

13. वन भूमि पर लड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विनियम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जावेगा। यदि निम्न कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पालन आवश्यक हो तो यात्रक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।

14. हस्तांतरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में यात्रक विभाग द्वारा सम्बन्धित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर एक पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30" से अधिक ढाल पर लड़े वृक्षों का पालन निषिद्ध है। इसी प्रकार बाज (O.A.S.) के पेड़ों का पालन भी निषिद्ध है। वन वृक्षों के पालन का निरोधक वन विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

15. वन भूमि के ऊपर से बिना लाइसेंस के जाने में व्यवधान पैदा हो सकता है। यदि किया जावेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे गुरुनिश्चित किया जावेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटाव अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या उपयुक्त स्थान निरोधक द्वारा सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जिस पर सम्बन्धित वन सहायक का अनुमोदन आवश्यक है।

16. यदि नहर आदि निर्माण में नुकसान हो सम्भव है तो नहर की दो पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है, जो पूरा यात्रक अपने व्यय से करवावेगा।

17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती हैं, तो वे यात्रक विभाग को मान्य होंगी।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तांतरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर में आश्वासन प्राप्त हो जाय।

Phon copy
attested
48
असहायक प्रो. इंजीनियर
ब० खण्ड लोहापुर्वा वि०
थरुड (दि० ग०)

अभिजायी अभियन्ता
ब० ग० सी० वि० वि०
मुख्य इंजीनियर (गवर्नर)